न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./5921/2002/सवाई माधोपुर

गंगाधर पिसर मुतबन्ना नानगा जाति मीणा निवासी भेडोली तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।

......अपीलार्थी

बनाम

1– भैरू पुत्र नानगा
2– हनुमान पुत्र नानगा
3– मु0 माली बेवा नानगा
4– नानगी बेवा रतनलाल
समस्त जाति मीणा निवासी भेडोली तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बौली जिला सवाई माधोपुर।

......प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री सी0आर0 मीना, सदस्य
श्री खजान सिंह, सदस्य

उपस्थितः
श्री अजीत सिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री शैलेन्द्र राणा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––––

निर्णय

दिनांक : 17 मई, 2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 103/2002 में पारित निर्णय दिनांक 19–8–2002 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, मुख्यालय बौली के समक्ष प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का

पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 429 रकबा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 430 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ग्राम भेडोली में स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार होने के बाद भी मौके पर उन्होंने आपस में बंटवारा कर रखा है तथा वर्षो से बंटवारे अनुसार काश्त कर रहे है। आराजी खसरा नंबर 429 में दक्षिणी हिस्से में अर्थात खसरा नंबर 430 की मेड़ के ऊपर दक्षिणी ओर के 1/2 हिस्से पर वादी काश्त करता आ रहा है। मौके पर मेड़ बनी हुई है, जो बंटवारे को दर्शाती है तथा खसरा नंबर 430 की भूमि का आधा हिस्सा, जो उत्तर की तरफ स्थित है, आधे भाग को वादी ही सदैव से काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नंबर 429 व 430 के हिस्से की भूमि दोनों दक्षिण तथा उत्तर में स्थित है। उनका वादी ने एक ही खेत बना रखा है तथा मौके पर भूमि में मेड़ डली हुई है, जो वादी व प्रतिवादीगण की भूमि को अलग अलग करती है। वादी ने खसरा नंबर 429 व 430 में जोत लगाकर उन्हालू की फसल के लिए तैयार कर रखी है परन्तु प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कह दिया है कि वे उसकी भूमि में शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देंगे। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि खसरा नंबर 429 की दक्षिणी भाग व 430 की उत्तरी भाग की भूमि को प्रतिवादीगण या उसके प्रतिनिधि मजाहमत नहीं करें। प्रतिवादी ने जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम पेश किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 429 व 430 की भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से हैं एवं प्रत्येक का 1/3 हिस्सा पर कब्जाकाश्त है। पारिवारिक बंटवारे से खसरा 429 की 15 बिस्वा वादी के हिस्से में आई। खसरा नंबर 430 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की है तथा खसरा नंबर 430 की एक इंच भूमि पर भी वादी का कब्जा नहीं है। आराजी खसरा नंबर 430 में खड़ी सरसब्ज व मेड़ को तोड़ कर वादी दोनों खेतों के बीच की भूमि को हड़पना चाहता है जिससे प्रतिवादी के खेत वादी के दोनों ओर हो जाने से हमेशा विवाद बना रहे इस लिए तकासमा कराने के लिए प्रतिवादीगण की ओर से काउण्टर क्लेम पेश किया जा रहा है। अतः जवाब एवं दावा मय काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे। परीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य ली जाकर तनकियात कायम की तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 18–5–2002 से प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर आराजी खसरा नंबर 429 रकबा 15 बिस्वा वादी के नाम तथा खसरा नंबर 430 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम खातेदार घोषित किया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–8–2002 द्वारा अपील रिकार्ड व साक्ष्य से सिद्ध न होने से खारिज कर दीं उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय इस न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि वादी/अपीलार्थी द्वारा जमाबंदी संवत 2009 से 2023 तक पेश की है जिसमें वादी व प्रतिवादी का खसरा नंबर 429 व 430 पर आधा आधा हिस्सा दर्ज है जिससे सिद्ध है कि वादी विवादित आराजी के आधे हिस्से का खातेदार है फिर भी परीक्षण

न्यायालय ने निर्णय उक्त जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि अनुसार नहीं किया है तथा रिकार्ड के परे जाकर पंचनामे का सहारे लेते हुए वादी के हिस्से में मात्र 1/3 हिस्सा मानते हुए तनकी सख्या 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध पारित किया है। उनका कथन है कि पंचनामे के आधार पर परीक्षण न्यायालय नहीं कर सकती ऐसा करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा 1989 आर.आर.डी. पेज 283 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। आगे उन्होंने यह भी फरमाया कि पंचार्ट के अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा दक्षिणी आधे हिस्से पर तथा वादी का कब्जा उत्तरी दिशा के आधे हिस्से पर होना स्पष्ट है फिर भी परीक्षण न्यायालय ने वाद में काउण्टर क्लेम बाबत बिना कोई तनकी किये हुए गलत निर्णय पारित किया है।विवादित आराजियात वादी की पुश्तैनी आराजियात है जिस पर विपरीत कब्जे का सिद्धान्त लागू नहीं होता है और न ही प्रतिवादीगण खसरा नंबर 430 पर अपना कब्जा सिद्ध कर पाये हैं फिर भी मौखिक साक्ष्य के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायाल ने भी मौखिक सक्ष्य एवं पंचनामे (पंचार्ट) को मध्य नजर रखते हुए परीक्षण न्यायालय की भांति समस्त राजस्व रिकार्ड को नजरंदाज कर आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए अत्यंत सूक्ष्म निर्णय पारित किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के विपरीत निर्णय पारित किये है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाये जावे तथा अपीलार्थी को खसरा नंबर 429 व 430 के आधे आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 2011 (2) आर.आर.टी. 721, 1997 आर.आर.डी. 606, 1996 आर.आर.डी. 591, 1989 आर.आर.डी. 382, 1985 आर.आर.डी. 36, 1997 आर.आर.डी. 68, तथा 1996 आर.आर.डी. 381 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन है कि वादी विवादित भूमि खसरा नंबर 429 रकबा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 430 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में आधा हिस्सा लेना चाहता है जबकि परीक्षण न्यायालय ने तनकियात कायम कर तथा तनकियों की विरचना कर यह सिद्ध किया है कि वादी का विवादित भूमि पर 1/3 हिस्सा है। वादी गंगाधर उक्त दोनों खसरा नम्बरों के बीच हिस्से की भूमि को लेना चाहता है जबकि वह शुरू से खसरा नंबर 429 की 15 बिस्वा भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण खसरा नंबर 430 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा पर काबिज है। हालांकि भूमि संयुक्त खातेदारी की है किन्तु पारिवारिक बंटवारे के आधार पर वे अपनी अपनी भूमि पर काबिज हैं। परीक्षण न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पंचार्ट अर्थात पंचनामे के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य भूमि का बंटवारा नहीं किया है। दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर निर्णय पारित किया है, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने भी उचित पाते हुए बहाल रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

5— हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया।

6— पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि खसरा नंबर 429 रकबा 15 बिस्वा एवं खसरानंबर 430 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ग्राम भेडोली पर वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित है।

7— पत्रावली को देखने से यह जाहिर है कि परीक्षण न्यायालय ने निणय व डिक्री 18—5—2002 पारित करने से पूर्व निम्न तीन तनकियांत कायम की गई हैं :—

> ''तनकी नं0—1 आया वादी ख.नं. 429, 430 की भूमि को लाल रंग से दर्शाई गई है को बंटवारा करने का अधिकारी है। ..वादी
> तनकी नं0—2 आया वादी के कब्जे की भूमि पर प्रतिवादीगण को बाधा उत्पन्न करने का अधिकारी है। .. वादी
> तनकी नंबर—3 आया ख.नं. 429 रकब 15 बिस्वा का इन्द्राज वादी के नाम ख.नं. 430 रकब 1 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवादीगण के नाम बंटवारा व तकासमा किया जाकर अलग से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। ''

8— परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर खसरा नंबर 429 की 15 बिस्वा की खातेदारी वादी एवं खसरा नंबर 430 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के आधे हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं आधे हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी की घोषणा की है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने राजस्व रिकार्ड खतौनी जमाबंदी संवत 2009 एवं 2023 के संदर्भ में अंकित किया है कि विवादित आराजी वादी के पिता नानकिया व प्रतिवादीगण के पिता नानग्या व रतन लाल के नाम दर्ज है जिसमें तीनों का हिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। तथा जमाबंदी संवत 2014 से 2028 में भी यही स्थिति दर्ज रिकार्ड है।

9— इस प्रकरण में विवाद यह है कि वादी गंगाधर खसरा नंबर 429 व 430 की आराजी का आधा हिस्सा चाहता है तथा उक्त दोनों खसरा नम्बरों के बीच जो भूमि पड़ती है उस पर काबिज होना चाहता है। प्रतिवादी चाहते हैं कि गंगाधर को खसरा नंबर 430 की 15 बिस्वा आराजी का खातेदार माना जाए।

10– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2049 से 2052 में गंगाधर पि0मु0 नानका भैरूलाल हनुमान पि0 नानगा काली बेवा नानगा रतनलाल पुत्र मंगल्या मीना अंकित है।

11– प्रकरण में गंगाधर आरम्भ से स्वयं को नानगा का वारिस मानकर 1/2 हिस्से का हकदार बताता आ रहा है। जबकि प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजी में गंगाधर को 1/3 का हकदार मानते हैं। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत 2049 से 2052 को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि गंगाधर पिसरान मुतबन्ना नानगा है तथा भैरूलाल व हनुमान भी नानगा के वारिस है, जो रतनलाल मंगल्या का पुत्र होने से वारिस है। अतः इस आशय की तनकी बनानी चाहिए जिससे यह तय किया जा सके कि राजस्व रिकार्ड के आधार पर पक्षकारान का विवादित भूमि में हक व हिस्सा कितना–कितना है। इस आशय की नवीन तनकी बनाई जानी चाहिए।

12– इसके अलावा यह भी विचारणीय है कि यदि कब्जे के आधार पर इस प्रकरण में नये सिरे से निर्णय किया जाना सम्भव नहीं हो तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 18 से 21 बॉय मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार कि सभी खातेदारों की अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए भी भूमि का विभाजन विधिवत रूप से किया जा सकता है। तथा परीक्षण न्यायालय को चाहिए इस बाबत भी विधिक तनकी बनाकर विस्तार से अपना मत व्यक्त करें। अतः उपरोक्तानुसार हम प्रकरण में परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

13– परिणामतः अपील आंशिक स्वीकार कर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 19–8–2002 तथा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट मुख्यालय बौली का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–5–2002 खारिज किये जाते है तथा प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, मुख्यालय बौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष की बहस सुनकर एवं साक्ष्य का अवसर देकर ऊपर दिये गये विवेचन अनुसार तनकियात कायम करें तथा तत्पश्चात् विधि अनुरूप निर्णय पारित करें।

14– निर्णय की प्रति के साथ दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य

(सी0आर0 मीना)
सदस्य